

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०या०-02-15/2019-28/19-20 प्र० स्वी० राँची, दिनांक: 19.09.19

प्रेषक:

अरुण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो.-हिन्नु राँची।

द्वारा: आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय: याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल (लातेहार) शिविर-मेदिनीनगर अन्तर्गत फुलवरिया वीयर योजना एवं सरसतिया वीयर योजना के गेटों के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 73.748 लाख (रूपये तिहत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सौ) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- याँत्रिक प्रमंडल, मण्डल (लातेहार) शिविर-मेदिनीनगर अन्तर्गत फुलवरिया वीयर योजना एवं सरसतिया वीयर योजना के गेटों के निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु रु० 73.748 लाख (रूपये तिहत्तर लाख चौहत्तर हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (A) फुलवरिया वीयर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रु० 30.038 लाख) :-
फुलवरिया वीयर योजना के शीर्ष स्थल पर दो अदद H/R & C/R गेटों को बदलना एवं अधिष्ठापन कार्य तथा उक्त गेटों का Embedded parts, Hoisting Arrangement एवं Hoisting Platform, Railing आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य जिसका अवयवार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Component	Amount (Rs.)
1	Clearing of gate groove be removal of sand, mud, boulders etc.	14016.00
2	Extraction of gate from gate groove by dismantling old worn out gate of H/R and C/R gate.	31648.00
3	Dismantling of P.C.C./R.C.C. of C/R and H/R gate with embedded parts etc.	9543.90
4	Providing and laying of P.C.C. / R.C.C. M-150 with nominal mix (1:2:4) .	34518.62
5	Fabrication and Erection of new C/R gates.	765290.00
6	Supply, fitting fixing of new worm gear M/C system for hoisting arrangement with suitable dia spindle with proper fitting and smooth operation and all accessories etc.	676640.00
7	Fabrication and Erection of New H/R gate, embedded parts, hoisting arrangement (spindle system),	399430.00
8	Fabrication, Erection and Manufacturing of shade and platform of C/R gate.	662224.00
9	Installation of gate by use of 14 x Hydra.	36000.00
	Total	2629310.52
	GST 12%	315517.26
	Total	2944827.78
	Labour Cess 1%	29448.27
	Contingency 1%	29448.27
	Grand Total	3003724.32
	Say	Rs. 3003730.00

B) सरसतिया वीयर योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य (रु० 43.71 लाख) :-

सरसतिया वीयर योजना के 2 शीर्ष स्थल पर अदद H/R गेट तथा 3 अदद C/R गेटों को बदलना एवं अधिष्ठापन कार्य तथा उक्त गेटों का Embedded parts, Hoisting Arrangement एवं Hoisting Platform, Railing आदि का निर्माण एवं अधिष्ठापन कार्य जिसकी अवयववार वित्तीय विवरणी निम्नवत् है :-

Sl.	Component	Amount (Rs.)
1	Cleaning of gate groove by removal of sand, mud, boulders etc.	17520.00
2	Extraction of gate from gate groove by dismantling old and worn out gate of H/R & C/R gates.	39560.00
3	Dismantling of P.C.C./R.C.C. of C/R and H/R gate with embedded parts etc.	14749.30
4	Providing and laying of P.C.C. / R.C.C. M-150 with nominal mix for C/R, H/R.	53345.62
5	Fabrication and Erection of new C/R gates, embedded parts, rubber seal and all accessories etc.	984303.00
6	Supply, fitting fixing of new worm gear M/C system for hoisting arrangement with suitable dia spindle with proper fitting and smooth operation and all accessories etc.	1032687.00
7	Fabrication and Erection of new H/R gate in left canal with embedded parts, hoisting arrangements (Spindle system), and all accessories etc.	200599.00
8	Fabrication and Erection of new H/R gate in right canal with embedded parts, hoisting arrangements (Spindle system).	245586.00
9	Fabrication, Erection and Manufacturing of shade and platform for 1 st no C/R gate.	444697.00
10	Fabrication, Erection and manufacturing of shade and platform for 2 nd and 3 rd no C/R gate (both platform).	712036.00
11	Cleaning of up steam siltration, boulder mud etc.	27016
12	Installation of gate by use of 14x Hydra all complete job.	54000.00
	Total	3826098.92
	GST 12%	459131.87
	Total	4285230.79
	Labour Cess 1%	42852.30
	Contingency 1%	42852.30
	Grand Total	4370935.39
	Say	Rs. 4370940.00

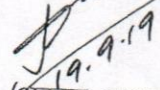
3. यह कार्य बजट शीर्ष :-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष -80-लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय-उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष -05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

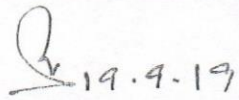
4. इन कार्यों को वर्ष 2019-20 में प्रारम्भ करके एक वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मण्डल (लातेहार) शिविर-मेदिनीनगर होंगे।
6. झारखंड कोषागार संहिता नियम 300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
7. राशि की निकासी लातेहार कोषागार से की जायेगी।
8. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।
9. प्रावधानित लौह सामग्रियों में से निकलने वाले लौह सामग्रियों का 40% राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
10. कार्य कराने वाली Agency द्वारा ही कार्य सम्पन्न होने के उपरान्त अगले तीन(3) वर्षों तक Repair & Maintenance कराया जायेगा।
11. निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक 3112 दिनांक 14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. स्वीकृत कार्य के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
13. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निदेश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी कार्य के प्रारम्भ कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आंतरिक वित्तीय सलाहकार, झारखण्ड सरकार के द्वारा महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाय।

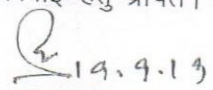
झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०या०-02-15/2019.38/19-20 प्र०स्वी० राँची, दिनांक: 19.09.19
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०या०-02-15/2019.38/19-20 प्र०स्वी० राँची, दिनांक: 19.09.19
प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, लातेहार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-15/2019...38/19-20 प्र०स्वी० राँची, दिनांक: 19.09.19.

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मण्डल (लातेहार) शिविर-मेदिनीनगर एवं अवर सचिव-7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

 14.4.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-15/2019...38/19-20 प्र०स्वी० राँची, दिनांक: 19.09.19

प्रतिलिपि: आयुक्त, पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

 14.4.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव

पत्रांक: 7 वि०शा०/मु०यां०-02-15/2019...38/19-20 प्र०स्वी० राँची, दिनांक: 19.09.19.

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति Online करने हेतु प्रेषित।

 14.4.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

संयुक्त सचिव

24 